न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2022 G.C.M.S. No. 2022/122 दर्ज दिनांक : 17.05.2022

अपीलार्थिगण:

1. वचनाराम पुत्र पाता, जाति रेबारी, उम्र 70 वर्ष, निवासी तिलोड़ा, तहसील सायला, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सुकीदेवी पत्नि मानारामजी
2. बगदाराम पुत्र केसा
3. निम्बाराम पुत्र केसा
   जातियान रेबारी, निवासीगण तिलोडा, तहसील सायला, जिला जालोर।
4. भूमिधारी तहसीलदार सायला।

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री अदालत सहायक कलक्टर सायला, बराजस्व वाद संख्या 44/2016 वादीया सुकीदेवी बनाम प्रतिवादीगण वचना वगैरह, दावा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.04.2022

उपस्थित–

1. श्री सिकंदर अली सैयद, विद्वान अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री उत्तमकुमार गहलोत, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.11.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सायला के राजस्व वाद संख्या 44/2016 बअनवान सुकीदेवी बनाम वचना वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 (वादीया) सुकीदेवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा इस आशय का पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा तिलोड़ा, तहसील सायला, जिला जालोर के खसरा संख्या 227, रकबा 5.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 228 रकबा 0.01 हैक्टेयर, गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 229 रकबा 0.16 हैक्टेयर गैर मुमकिन सडा, खसरा नंबर 230 रकबा 2.10 हैक्टेयर व खसरा संख्या 231 रकबा 1.97 हैक्टेयर, बारानी उतम की आराजी आई हुई हैं। जिसमें 1/4 हिस्सा वादीया/रेस्पोंडेंट संख्या 1 का व 1/4 हिस्सा रेस्पोंडेंट संख्या (प्रतिवादी) बगदाराम व निम्बाराम का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलांट) वचना का है। इस भूमि का मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा काबिज कास्त है। जिसका बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में किया जावें तथा दक्षिणी माठ पर चलने का रास्ता वादीया को दिलाया जावें तथा इस संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा करने की प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.04.2022 को जारी कर दी। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। चूंकि प्रकरण में अपीलांट वचना ने अपने जवाबदावें में यह उल्लेख किया था कि मौके पर अपीलांट वचना के हिस्से में धोरे वाली व उबड़–खाबड़ जमीन खसरा संख्या 227

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रकबा 5.08 हैक्टेयर चालीस वर्षों से ज्यादा समय से प्रार्थी के कब्जेकाश्त में रखी गई हैं, जिसे अपीलांट ने कड़ी मेहनत करके अपने हिस्से कब्जेकास्त की भूमि को समतल करके खाद व मिट्टी ड़ालकर उपजाउ बनाया है। जिस कारण 40 वर्षों से ज्यादा समय से मौखिक बंटवाड़े के अनुसार अपीलांट वचना के हिस्से में खसरा संख्या 227 रकबा 5.08 हैक्टेयर की भूमि रखी जावें। अपीलांट के हिस्से की भूमि के चारो ओर 40 वर्षों से ज्यादा समय से बड़ी–बड़ी माठ मौके पर मौजूद है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को दरकिनार कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा व जवाबदावे के आधार पर 5 तनकीयात कायम की थीं, लेकिन तनकीयात के अनुसार प्रत्येक तनकी का निर्णय नहीं किया। प्रकरण में तनकी संख्या 4 अपीलांट वचना के जवाबदावे के तथ्यों के अनुसार बनाई गई थीं कि खसरा संख्या 227 रकबा 5.08 हैक्टेयर पर मौके पर कब्जा अपीलांट वचना का मौखिक बंटवाड़े के अनुसार एवं मौके पर काबिज कब्जाकाश्त के अनुसार बंटवाड़ा करवाने की अधिकारी हैं। इस तनकी के संबंध में अपीलांट ने डीडब्ल्यू 1 वचनाराम, डीडब्ल्यू 2 मानसिंह व डीडब्ल्यू 3 हरिया के साक्ष्य के रूप में पेश किया था। लेकिन इन साक्ष्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी तरह से अपने प्राथमिक डिक्री में विवेचन नहीं किया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया सुकीदेवी के कहे अनुसार अपीलांट के कब्जेकाश्त आराजी खसरा संख्या 227 के दक्षिणी माठ पर कुल भूमि में से रास्ता वादीया को दिया है। जबकि सरकारी रास्ते के समीपवर्ती रास्ता वादीया को दिया जा सकता था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में रास्ता देने के संबंध में किसी तरह का निर्णय नहीं दिया है, फिर भी मौखिक रूप से हल्का पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बताते हुए त्रुटिपूर्वक वादीया को रास्ता दिलाने का प्रयत्न किया। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री की पालना गलत रूप से करवाई हैं। इसके साथ ही रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़े के अनुसार खातेदारी कब्जाकाश्त में जाने का रास्ता खसरा संख्या 233 में से खसरा संख्या 232 के दक्षिणी माठ से होता हुआ रेस्पोंडेंट संख्या 1 की खातेदारी कब्जाकाश्त में नजदीक व सुगम रास्ते के रूप में पहले से मौजूद हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट, गवाहान व 40 वर्षों से ज्यादा समय के कब्जाकाश्त के संबंध में पेश किए गए गवाह, सबूतों का निर्णय में वर्णन नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन न करते हुए, प्रत्येक तनकी का विवेचन न करते हुए उक्त विधिविरूद्ध जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री को अपास्त फरमावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया सुकीदेवी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अधीनस्थ

न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक कायम किए जाकर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 04.04.2022 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की, जो अपीलाधीन है। वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 228 गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 229 गैरमुमकिन सडा है। जिनका कानूनन बंटवाडा नही किया जा सकता। अर्थात् उक्त खसरान की आराजी विभाजन योग्य नहीं होने से तथा उक्त खसरान की आराजी की प्रकृति व उपयोगिता संयुक्त उपयोग–उपभोग की श्रेणी में आती हैं, जिनका इसी रूप में उपयोग व उपभोग किया जा सकता है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 227, 230 व 231 जिसकी किस्म बारानी उत्तम है, जोकि विभाजन योग्य होने से उक्त आराजी का सहखातेदारान के मध्य कानूनन बंटवाडा किया जा सकता है।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री द्वारा वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य हक–हिस्से अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने की आज्ञा पारित की गई हैं। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में यह उज्र लिया गया है कि खसरा संख्या 227 की आराजी पर उसका 40 सालों से ज्यादा कब्जा होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया तथा उक्त खसरा की आराजी उसके हिस्से में नहीं रखकर कानूनी भूल की हैं, के संबंध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चूंकि खसरा संख्या 227 सहित संपूर्ण वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसका कानूनन बंटवाडा नहीं होने तक सभी सहखातेदारान का अपने हिस्से तक प्रत्येक खसरान की भूमि पर उपयोग उपभोग माना जाता है। अतः अपीलांट का यह उज्र स्वीकारयोग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

3. अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम किए जाने के बावजूद तनकीवार निर्णय नहीं करने की कानूनी भूल की हैं। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से हमारा यह विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं। अतः अपीलांट का यह उज्र स्वीकारयोग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

4. अपीलांट द्वारा अपील में किए गए शेष कथन यथा रास्ते के प्रावधान, विभाजन प्रस्ताव आदि प्राथमिक डिक्री की अनुपालना से संबंधित है। जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधित तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से संबंधित है। जिसके संबंध में संबंधित पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है। जिन पर वर्तमान में किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.04.2022 की पुष्टि किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

29.11.2024

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली